एमआरओ/डीओएस/डीएके/2023/01688

27 जुलाई, 2023

सेवा में,
सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियाँ

महोदया/महोदय,

ऋण का उद्देश्य- परामर्शिका

उधारकर्ताओं को दिए गए संपत्ति के एवज में ऋण/अन्य गैर- आवास ऋणो के मामलों में यह देखा गया है कि कभी-कभी ऋण के उद्देश्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख/संकेत मंजूरी पत्र/ऋण समझौते/एमआईटीसी में नहीं किया जाता है या इस उद्देश्य का उल्लेख केवल 'गैर- आवास' / 'संपत्ति के एवज में ऋण' के रूप में किया जा रहा है।

2. इसलिए आवास वित्त कंपनियों को यह सलाह दी जाती है कि ऋण के उद्देश्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख उधारकर्ताओं के साथ निष्पादित स्वीकृति पत्र, ऋण समझौते और एमआईटीसी में किया जाना चाहिए अर्थात ऋण का उद्देश्य व्यवसाय के लिए है या गैर व्याव्सायिक जैसे चिकित्सा व्यय आदि के लिए।

3. इसके अतिरिक्त, आवास वित्त कंपनियों को ऋण आवेदन के समय ग्राहकों से एक घोषणा/वचन पत्र करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें एक ऐसा खंड शामिल हैं, जिसमें यह वर्णित हो कि ऋण का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए इसे स्वीकृत किया जा रहा है, ऋण के तहत धन के उपयोग का उद्देश्य ऋण की अवधि के दौरान किसी भी तरह से नहीं बदला जाएगा, ऋण का उपयोग किसी भी रूप में किसी भी अवैध और/या असामाजिक और/या सट्टा उद्देश्य के लिए नही किया जाएगा।

सभी आवास वित्त कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त बातों पर ध्यान दें और अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एस.के.पाढ़ी)

महाप्रबंधक